न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस
भगूराम बनाम भूमिधारी
दावा सं0– 249/2025
जीसीएमएस– 2025/495

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। प्रकरण का सार इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि वादी का सही नाम भगूराम पुत्र तुलछाराम है, परन्तु राजस्व ग्राम कांसरडा स्थित भूमि ख0नं0 915, 916 कुल किता 2 कुल रकबा 1.53 हैक्टे0 के हिस्सा 1/8 के राजस्व रिकार्ड में सहवन से प्रार्थी का गलत नाम भूराराम पुत्र तुलछा अंकित कर दिया। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम भगूराम पुत्र तुलछाराम दुरुस्त किया जावें। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, अन्य भूमियों की जमाबन्दी की प्रतियां पेश की है जिसमें प्रार्थी का नाम भगूराम पुत्र तुलछाराम अंकित है। पत्रावली में दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए वाद पत्र स्वीकार करने का कथन किया। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में वादी स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भूराराम पुत्र तुलछा अंकित है। वादी का कथन कि वादी का सही नाम भगूराम पुत्र तुलछाराम है की पुष्टि मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, अन्य भूमियों की जमाबन्दी से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम कांसरडा स्थित भूमि ख0नं0 915, 916 कुल किता 2 कुल रकबा 1.53 हैक्टे0 के हिस्सा 1/8 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज **भूराराम पुत्र तुलछा** के स्थान पर **भगूराम पुत्र तुलछाराम** दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रींगस

उपखण्ड अधिकारी
रींगस (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2025.08.13 12:07:02 IST
Reason: SelfAttested